प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपार्ट पटवारी नारायणखेड़ा व भू.अ. निरिक्षक नारायणखेड़ा तहसील रायपुर

मोहदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी लाडूलाल पिता मूरा भील के ग्राम तेजपा खेड़ी के खाता सं. 56, 57, 58 में प्रार्थी का काबिज नारायणखेड़ा के बजाय फरदे दर्ज किया जाना उचित है।

14/10/21

प. नारायणखेड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक अनुसार ग्राम तेजपा खेड़ी के खातासं. 56, 57, 58 में लाडुलाल पि. मूरा भील के स्थान नारायणखेड़ा के बजाय खा.दे. दर्ज किया जाना उचित है।

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

आदेश

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/प्रगाo सं./2021/29/21 (2021/223) दि: 14.10.2021

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का [illegible] भू.अभि. निरी. व तहसीलदार रायपुर व संलग्न [illegible] पर ग्राम तेजपा खेड़ी के खा.सं. 56,57,58 में लाडूलाल पिता मूरा भील सा. नारायण खेड़ा के बजाय लाडूलाल पि. मूरा भील सा. देह, शुद्धि किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:13:57 IST
Reason: SelfAttested

14.10.2021
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

FORM NO.03
फर्द अहकाम
(नियम 26)

# अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

लादुलाल पिता भुरा भील निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर — प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा — विपक्षी

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956 — मु0नं0 29 सन् 2021 (2021/223)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | |
|---|---|---|
| दिनांक– 14-10-2021 | प्रार्थी लादुलाल पिता भुरा भील निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम तेज्याखेड़ी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2073–2076 में शामलाती खाता संख्या 46, 47, 48 में क्रमशः किता 10 रकबा 1.75 है0, किता 8 रकबा 2.16 है0, किता 2 रकबा 0.32 है0 भूमि सहखातेदारी से प्रार्थी लादुलाल पिता भुरा भील सा. नारायणखेड़ा के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी लादुलाल पिता भुरा भील सा. देह के बजाय लादुलाल पिता भुरा भील सा. नारायणखेड़ा अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक ग्राम का नाम लादुलाल पिता भुरा भील सा. तेज्याखेड़ी है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है।<br><br>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम तेज्याखेड़ी के खाता संख्या 46, 47, 48 में खातेदार लादुलाल पिता भुरा भील सा. नारायणखेड़ा के बजाय लादुलाल पिता भुरा भील सा. देह दुरूस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरस्ती करने की अभिशंषा की गई।<br><br>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर खातेदार लादुलाल पिता भुरा भील सा. नारायणखेड़ा के बजाय लादुलाल पिता भुरा भील सा. देह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Sundar Lal Bamboda<br>Date: 2021.12.18 16:13:57 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>14.10.2021<br>(सुन्दर लाल बम्बोडा)<br>उपखण्ड अधिकारी, रायपुर<br>उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा | |